संख्या-322/2015/1535/नौ-5-15-286बजट/2013

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

विषयः-नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत वित्तीयं वर्ष 2013-14 में नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में नाले के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-1087/कार्य-2/144, दिनांक 11.02.2015 के क्रम में शासनादेश संख्या-8365(2)/नौ-5-2013-286बजट/13, दिनांक 20.02.2014, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में **नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में सिविल लाइन्स में अलका होटल के पीछे विनोद की पुलिया से होकर छोटू मिस्त्री के घर की पुलिया तक नाला निर्माण** के कार्य हेतु ₹ 51.93 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 25.75 लाख (₹ पच्चीस लाख पछहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गई है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 57.11 लाख (₹ सत्तावन लाख ग्यारह हजार मात्र), जिसमें 5.18 लाख सेन्टेज के रूप में सम्मिलित है, पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश संख्या-8365(2)/नौ-5-2013-286बजट/13, दिनांक 20.02.2014 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
1.	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़	51.93	25.75	57.11
		योग	51.93	25.75	57.11

(₹ सत्तावन लाख ग्यारह हजार मात्र)

(1) पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सेन्टेज की धनराशि हेतु निर्गत की जा रही है। अतः प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की दर के सन्दर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सन्दर्भित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-8365(2)/नौ-5-2013-286बजट/13, दिनांक 20.02.2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-329/2015/1535(1)/नौ-5-15-286बजट/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़,।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।